13.03.2020 पत्रावली प्रस्तुत हुई। बार–बार पुकार पर
वादिनी मय विद्वान अधिवक्ता अनुपस्थित हैं।

पत्रावली आज सुनवाई हेतु नियत हैं। किन्तु बल देने के लिए कोई उपस्थित नहीं है और न ही मौका प्रार्थना पत्र दिया गया हैं। अतएव प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा–12 घरेलू हिंसा प्रतिषेध अधिनियम वादिनी की अदम पैरवी मे खारिज किये जाने योग्य हैं।

**आदेश**

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा–12 घरेलू हिंसा प्रतिषेध अधिनियम वादिनी की अदम पैरवी मे खारिज किया जाता है। पत्रावली नियमानुसार दाखिल दफ्तर हों।

मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट

महराजगंज।